भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 141

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

***141. श्रीमती किरण खेर:**

श्री निशिकान्त दुबे:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में अपने लाभ का कुछ प्रतिशत कल्याण/विकास कार्यकलापों पर व्यय करना आवश्यक होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कंपनी-वार कितनी धनराशि उपयोग में लायी गयी और क्या मुख्य कार्यकलाप आरंभ किए गए;

(ग) सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी पंचायतों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियां प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति नियम, 2014/दिशानिर्देशों के अनुपालन न करने के मामलों की सूचना प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में 25 नवंबर, 2016 के लोक सभा तारांकित प्रश्न 141 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में ऐसी प्रत्येक कंपनी जिसका टर्नओवर या निवल मूल्य या निवल लाभ निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर हो उसको कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत धनराशि खर्च करना अनिवार्य किया गया है।

(ख): वर्ष 2014-15 में 7334 कंपनियों की समेकित की गई सूचना के सीएसआर व्यय के मूल्यांकन से पता चलता है कि 142 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और 2997 निजी क्षेत्र की कंपनियों ने वर्ष 2014-15 के दौरान कुल मिलाकर 8803 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	कुल कंपनियां	सीएसआर पर व्यय करने वाली कंपनियों की संख्या	सीएसआर पर व्यय नहीं करने वाली कंपनियों की संख्या	सीएसआर पर किया गया वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में) (2014-15)
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	226	142	84	2497
2	निजी क्षेत्र की कंपनियां	7108	2997	4111	6306
योग		**7334**	**3139**	**4195**	**8803**

(ग): सीएसआर धनराशि का उपयोग "सांसद आदर्श ग्राम योजना" सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अधीन करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण विकास पर किए गए व्यय सहित राज्य-वार और क्षेत्र-वार किया गया सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-I और II पर दिया गया है।

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ण) के साथ पठित धारा 135 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन न करने की वजह से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 496 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

(ड.): जी, हां। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनियों द्वारा सीएसआर का कार्यान्वयन करने में मदद करने की दृष्टि से इस

मंत्रालय ने दिनांक 18 जून, 2014 और 12 जनवरी, 2016 को क्रमश: स्पष्टीकरण परिपत्र और एफएक्यू जारी किए हैं।

*****

अनुलग्नक–I

दिनांक 25 नवंबर, 2016 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 141 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>वर्ष 2014-15 के दौरान की गई सीएसआर परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण</u>

क्रम संख्या	राज्य	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)	क्रम संख्या	राज्य	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	महाराष्ट्र	1101.71	20.	बिहार	15.08
2.	गुजरात	291.65	21.	केरल	57.25
3.	तमिलनाडु	446.98	22.	हिमाचल प्रदेश	5.29
4.	कर्नाटक	363.05	23.	गोवा	24.29
5.	राजस्थान	251.98	24.	मणिपुर	1.35
6.	उत्तर प्रदेश	123.14	25.	अरुणाचल प्रदेश	10.45
7.	आन्ध्र प्रदेश	167.85	26.	चंडीगढ़	0.69
8.	पश्चिम बंगाल	243.32	27.	मेघालय	1.80
9.	मध्य प्रदेश	176.41	28.	सिक्किम	0.41
10.	दिल्ली	139.75	29.	त्रिपुरा	0.34
11.	हरियाणा	107.62	30.	नागालैंड	0.08
12.	उड़ीसा	214.31	31.	पुदुचेरी	1.10
13.	जम्मू एवं कश्मीर	74.60	32.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.81
14.	छत्तीसगढ	275.37	33.	दादर एवं नगर हवेली	1.83
15.	तेलंगाना	88.53	34.	दमन और दीव	20.04
16.	उत्तराखंड	24.53	35.	लक्ष्यद्वीप	0.59
17.	पंजाब	23.71	36.	मिजोरम	0.16
18.	असम	106.84		**अन्य***	**4353.17**
19.	झारखंड	86.87	**योग**		**8803.00**

*कंपनियों ने उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम नहीं दर्शाया है जिनमें परियोजनाएं चलाई गईं।

*****

अनुलग्नक-II

दिनांक 25 नवंबर, 2016 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 141 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (वित्तीय वर्ष 2014-15)

क्र.सं.	अनुसूची-VII में विषय	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी, कुपोषण का निवारण/डब्ल्यूएएसएच	2245.58
2.	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	2728.11
3.	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/असमानता हटाना	325.96
4.	पर्यावरण और पशु कल्याण	1212.63
5.	विरासत कला और संस्कृति	157.20
6.	खेलों को प्रोत्साहन	159.64
7.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	192.24
8.	ग्रामीण विकास	1016.98
9.	स्लम विकास	122.75
10.	स्वच्छ भारत कोष	121.47
11.	निर्मल गंगा कोष	19.25
12.	अन्य कोई कोष	36.31
13.	अनुसूची-VII के अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक शीर्ष, कोष में योगदान आदि)	305.50
14.	अन्य (*)	159.38
	कुल	**8803.00**

*कुल 159.38 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया क्योंकि कुछ कंपनियों ने अपने वास्तविक सीएसआर व्यय के लिए किए गए समस्त सीएसआर कार्यकलापों का उल्लेख नहीं किया था।

*****